न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर
बईजलास श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 33/2001
स्टेट जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

अपीलान्ट

बनाम

1. श्री फतेहसिंह पुत्र धन्नेसिंह राजपूत कायम मुकाम
   1/1 श्रीमती उदयकंवर पत्नि श्री फतेहसिंह
   1/2 श्रीमती भंवरकंवर पत्नि फतेहसिंह
   1/3 श्रीमती प्रेमकंवर पुत्री फतेहसिंह
   1/4 श्रीमती फिरोजकंवर पुत्री फतेहसिंह
   निवासी नोसरिया तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

रेस्पोडेन्ट्स

::अपील अर्न्तगत धारा 23 राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973::

उपस्थिति :–

1– स्टेट की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि
2– रेस्पोडेन्ट की ओर से – श्री सुरेशचन्द्र व्यास अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 27.12.2019

1. प्रस्तुत प्रकरण राजस्व(सीलिंग विभाग) के पत्र क्रमांक एफ (658)/राज/सी/79/1758 दिनांक 27.9.1984 के द्वारा जिलाधीश चूरू को सुनवाई हेतु प्राप्त होने पर दिनांक 20.10.1984 को दर्ज हुआ। उक्त प्रकरण में राजस्व(सीलिंग विभाग) ने सीलिंग प्रकरण संख्या 637/71 (पुराना कानून) द्वारा उपखण्ड अधिकारी रतनगढ़ के निर्णय दिनांक 23.06.1971 प्रकरण सरकार बनाम फतेहसिंह में आदेश दिनांक 19.09.1984 से प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रतनगढ़ के निर्णय दिनांक 23.06.1971 को राज्य हित के प्रतिकूल मानते हुवे नये सीलिंग कानून की धारा 15(2) के अन्तर्गत पुनः खोलने एवं निर्णय पारित करने के आदेश प्रदान किये गये। उक्त आदेश के विरूद्ध श्री फतेहसिंह अप्रार्थी के वारिसान की ओर से माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एसबी रिट याचिका 215/85 तथा स्थगन याचिका 204/85 में पारित आदेश कि उक्त प्रकरण में अन्तिम निर्णय पारित नहीं किया जाये संबंधी पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण के संबंध में अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। चूंकि प्रकरण में अन्तिम निर्णय नहीं किये जाने संबंधी आदेश थे। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को जवाब व साक्ष्य हेतु अनेक अवसर दिये गये। अन्ततः दिनांक 4.11.1985 को पूर्व में प्रस्तुत जवाब व सबूत को ही जवाब सबूत मानने का निवेदन करने पर प्रकरण में जवाब व सबूत अप्रार्थीगण की ओर से बन्द किये। दिनांक 17.10.1988 की आदेशिका के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर से पत्रावली प्राप्त हो चुकी है परन्तु फैसले की प्रति प्राप्त नहीं होना अंकित है। तत्पश्चात् दिनांक 274.7.1989 को माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश दिनांक 07.07.1989 से अपील पुनः रेस्टोर किये जाने की प्रति पेश करने पर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर से उक्त प्रकरण में

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर

मार्गदर्शन चाहा गया। तत्पश्चात् दिनांक 2.11.2000 की आदेशिका अनुसार प्रकरण में कोई मनाही नहीं होने के कारण आगे कार्यवाही करने का आदेश है तथा दिनांक 15.05.2001 की आदेशिका में तहसील डूंगरगढ़ का क्षेत्राधिकार बीकानेर जिले में होने के आधार पर उक्त प्रकरण स्थानान्तरित होकर न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर में प्रेषित किया गया । जिसके आधार पर दिनांक 31.05.2001 को यह प्रकरण दर्ज हुआ।

2. दिनांक 28.01.2001 की आदेशिका के आधार पर उक्त प्रकरण में रिट याचिका 215/85 में पारित स्थगन आदेश एवं वर्तमान स्थिति में प्रभावी है अथवा नहीं की प्रमाणित प्रति पेश करने हेतु वकील अप्रार्थी को आदेशित किया गया। जिसे पेश करने हेतु वकील अप्रार्थी द्वारा लगातार समय लिया जाता रहा। साथ ही न्यायालय की ओर से भी विशेष वाहक भेजकर वस्तुस्थिति की जानकारी चाही परन्तु कोई नतीजा नहीं निकला। स्वयं अप्रार्थी के अधिवक्ता की उपस्थिति में दिनांक 09.10.2017 को पारित आदेशिका के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन प्रकरण की स्थिति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर बहस सुनने के आदेश पारित किये गये। इसके पश्चात् भी पुनः अनेक अवसर अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को दिये गये। जिन्होनें उपस्थित होकर कथन किया कि वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में कोई प्रकरण लम्बित नहीं है तथा ना ही स्थगन आदेश है। बहस अन्तिम सुनी जावे। जिस पर अन्तिम बहस सुनी गई।

2. दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी रतनगढ़ का निर्णय दिनांक 23.06.1971 कानूनी तौर पर उभयपक्ष को सुनने के पश्चात् पारित किया गया है जिसकों धारा 15(2) के तहत रिऑपन करने के कोई आधार नहीं है। अतः प्रकरण को निरस्त किया जावे।

3. राज्यपक्ष की ओर से बहस करते हुवे विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि मामले में सीलिंग कानून की पालना नहीं की गई है। राजस्व विभाग द्वारा प्रकरण को रिऑपन सही किया गया है। अतः नये कानून के तहत प्रकरण का निर्णय किया जावे।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। राजस्व(सीलिंग विभाग) द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 21.2.1958 को अप्रार्थी के धारण में 261 एकड़ भूमि होना निर्विवाद रूप से माना गया है तथा दिनांक 1.4.1966 को धारा 30 बी के अनुसार परिवार के सदस्यों की संख्या तत्कालीन प्राधिकारी के द्वारा 07 मानते हुवे 241 एकड़ भूमि धारण करने हेतु सक्षम माना था। परन्तु वास्वत में अप्रार्थी फतेहसिंह के द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र के अनुसार परिवार के सदस्यों की संख्या 05 थी। क्योंकि पुत्रवधु को परिवार की सदस्य नहीं माना जावेगा। इसके अतिरिक्त जिन पुत्र–पुत्रियों की मृत्यु दिनांक 01.04.1966 से पूर्व हो चुकी है उन्हें भी परिवार के सदस्य नहीं माना जावेगा। इसी आधार पर उक्त सीलिंग प्रकरण का निर्णय पुनः पारित किया जाना है।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

5. पूर्व में उक्त प्रकरण में राजस्व(सीलिंग विभाग) के द्वारा आदेश दिनांक 23.02.1981 से प्रकरण रि–ऑपन होने पर जिलाधीश चूरू के आदेश दिनांक 13.05.1982 को निर्धारित सीमा से अधिक 89 एकड़ भूमि राज्य के हक में अधिग्रहण करने का निर्णय दिया गया था। परन्तु रिव्यू पश्चात् यह निर्णय निरस्त किया गया उक्त प्रकरण में पारित मूल निर्णय उपखण्ड अधिकारी रतनगढ़ दिनांक 23.06.1971 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि घोषणाकर्ता के खाते में कुल भूमि 336 बीघा 1 बिस्वा + 34 बीघा 14 बिस्वा + 52 बीघा 15 बिस्वा = 423 बीघा 10 बिस्वा भूमि खातेदारी थी। जिसमें 35 बीघा बारानी दौयम व शेष बारानी अव्वल है। बारानी अव्वल में परिवर्तित करने पर यह भूमि 418 बीघा होती है। जो 261 एकड़ के बराबर है। तहसील श्रीडूंगरगढ़ के ग्राम नौसरियां तृतीय ग्रुप का गांव है जहां बारानी अव्वल भूमि की अधिकतम सीमा 5 सदस्य परिवार के लिए 181 एकड़ निर्धारित है। इस तथ्य पर किसी को कोई एतराज नहीं है तथा घोषणाकर्ता के परिवार में अधिकतम 5 सदस्य दिनांक 1.4.1966 को होने के कारण घोषणाकर्ता का अधिकतम 181 एकड़ भूमि ही धारण करने का अधिकार है। लिहाजा 261 एकड़ भूमि में से 181 एकड़ भूमि को छोड़ते हुऐ शेष 80 एकड़ (अर्थात 128 बीघा) भूमि अधिकतम सीमा से अधिक होने के आधार पर अधिग्रहण की जाती है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ को आदेश दिये जाते है कि 80 एकड़ अर्थात 128 बीघा सरप्लस भूमि का कब्जा बहस सरकार प्राप्त करें। इस संबंध में तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ के पत्र क्रमांक 392 दिनांक 24.09.19 के द्वारा अप्रार्थी के द्वारा धारित भूमि के वर्तमान रिकार्ड एवं कब्जा काश्त संबंधी रिपोर्ट प्रेषित की गई है। अतः अधिग्रहण की गई भूमि का कब्जा लेते समय अप्रार्थीगण के धारण में भारमुक्त भूमि का ऑप्शन प्राप्त कर कब्जा लेने की कार्यवाही की जावे तथा सीलिंग कानून के तहत भूमि का प्रबन्धन एवं आबंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

6. निर्णय आज दिनांक 27.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया है ।

(ए.एच.गौरी)
अति.जिला कलक्टर(प्रशा.)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर